न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः–82/2023
जीसीएमएस नं.–2023/252

जगदीश पुत्र धोकल जाति बिश्नोई निवासी चक 79 एल एन पी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

---प्रार्थी

बनाम्

1. सेन्सकरण पुत्र हजारीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 20 एल एम लूणिया तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. धर्मपाल पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चक 20 एल एम लूणिया तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. संरपच ग्राम पंचायत 20 एल एम लूणिया तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

-----अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

वकील उपस्थित–

1. श्री राकेश कुमार गोदारा एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. श्री रविन्द्रकुमार बलाना एडवोकेट अप्रार्थी सं.–1 ता 3 की ओर से

दिनांकः–27/02/26

– :: निर्णय :: –

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि वाके तहसील अनूपगढ़ के चक 19 एलएम का मुरब्बा नम्बर 33 पत्थर नम्बर 223/32 के किला नम्बर 1 ता 12, 14 ता 17, 20 ता 25 की कुल 5.4310 हैक्टेयर यानी 22 भूमि कमाण्ड अनकमांड प्रार्थी की खातेदारी है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी अपनी देखरेख में काश्त करवाता है तथा 19 एलएम का मुरब्बा नम्बर 32 पत्थर नम्बर 223/31 किला नं. 2, 9, 12, 19, 22 की कुल 1265 हैक्टेयर कमांड खातेदारी कृषि भूमि है तथा अप्राथी सं.–2 के नाम से अन्य सह काश्तकारों के साथ मुरब्ब नम्बर 32 पत्थर नम्बर 223/31 किला नं.–1, 10, 11, 20, 21 की कुल 1265 हेक्टेयर कमांड खातेदारी कृषि भूमि है जिसे वादपत्र में आईन्दा वादाधीन भूमि दर्ज किया जायेगा। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं.–2 अपनी वादाधीन कृषि भूमि में सिंचाई हेतु पक्का खाला का निर्माण अपनी वादाधीन कृषि भूमि के किला नं. 20, 21 व अप्रार्थी सं.–1 के चक 19 एलएम के मुरब्बा नम्बर 32 पत्थर नम्बर 223/31 किला नं.–29, 12, 19, 22 के किला नं.–22 मे पक्का खाला का निर्माण कर रहा है जो अप्रार्थी सं.–3 सरपंच द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि अप्रार्थी सं.–3 सरपंच द्वारा अप्रार्थी सं.–1 के किला नं.–22 व अप्रार्थी सं.–2 के किला नं.–20, 21 में कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.05 14:59:32 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

3 बीघा छोटी साख मंजूर की है जो पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं.–1 व 2 के परिवार के अन्य खातेदार की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 32 पत्थर नम्बर 223/31 किला नं.–23, 24, 25 में से घरेलु आड (कच्चा खाला) में से आ रहे सिचाई पानी हेतु मंजूर की गई है। प्रार्थी के किला नं.–2 व अप्रार्थी सं.–1 के किला नं.–22 मुरब्बा लाईन की बट सांझी है तथा प्रार्थी के मुरब्बा के किला नं.–1 ता 5 तथा मुरब्बा नं.–32 के किला नं.–21 ता 25 की बट सांझी है तथा दोनों मुरब्बों के बीच में सीमा को लेकर विवाद होने पर अप्रार्थी सं.–4 के आदेश से दिनांक 11.06.2023 को सीमाकंन करवाया गया तथा निशानदेही दी गई लेकिन अप्रार्थी सं.–1 व 2 ने उक्त दी गई निशानदेही के चिन्ह को हटा दिया तथा पैमाईश को मानने से इनकार कर दिया तथा अप्राथी सं.–2 अपनी कृषि भूमि में सिचाई हेतु पक्का खाला का निर्माण प्रार्थी की कृषि भूमि के किला नं.–2 में 2 फीट अंदर की ओर किया जा रहा है तथा अप्रार्थी सं.–2 भी इसमें सहयोग कर रहा है क्योंकि अप्रार्थी सं.–2 जो अप्रार्थी सं.–1 का सगा भतीजा है तथा प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि के किला नं.–2 में पक्का खाला का निर्माण करने से मना करने पर अप्रार्थी सं.–1 व 2 भड़क गये तथा झगडा करने पर उतारू हो गये तथा परिवार के अन्य सदस्यों को भी साथ ले आये तथा लानिया कहा कि ये प्रार्थी की कृषि भूमि के किला नं.–2 में खाला का निर्माण करेंगे तथा हमने पैमाईश के निशानदेही के सरकारी चिन्हों को ही हटा दिया है हम सरकारी अधिकारी कर्मचारी की बात नहीं मानते तो प्रार्थी की भी कोई बात नहीं मानेंगे। इस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.–3 सरपंच से मिलकर प्रार्थी की कृषि भूमि में खाला निर्माण करने से मना किया तो अप्रार्थी सं.–3 ने भी प्रार्थी का सहयोग करने से इनकार कर दिया तथा कहा कि स्थाई रूप से 79 एलएनपी–1 में रहता है तथा मैं हर वक्त अप्रार्थी सं.–1 व 2 उसके परिवार के संपर्क में रहता है। इस प्रकार अपार्थी सं.–1 व 2 ने प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में अतिक्रमण की धमकी दी है तथा वे विधि विरुद्ध रूप से प्रार्थी की कृषि भूमि के किला नं.–2 में पक्का खाला का निर्माण करना चाहते हैं जबकि खाला अप्रार्थी सं.–1 के किला नं.–22 में स्वीकृत हुआ है तथा किला नं.–22 में ही नियमानुसार बनाया जा सकता है। इस पर प्रार्थी ने पुनः अप्रार्थी सं.–1 ता 3 से मिलकर अप्रार्थी सं.–1 के किला नं.–22 में ही खाला निर्माण कहा तो उन्होनें कल दिनांक 17.07.2023 को ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी की [illegible] के किला नं.–2 पक्का खाला का निर्माण कर लेते हैं तो [illegible] भूमि कम हो जायेगी तथा आईन्दा मुकदमेबाजी बढ़ेगी तथा समाज में [illegible] की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा जिसका आंकलन मुद्रा में नहीं किया जा [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.05 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दौराने वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 कृषि भूमि तहसील अनूपगढ़ के चक 19 एलएम का मुरब्बा नम्बर 33 पत्थर नम्बर 223/32 के किला

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

नम्बर 1 ता 12, 14 ता 17, 20 ता 25 कुल किला की 5.4390 हैक्टेयर यानी 22 बीघा भूमि कमाण्ड अनकमांड प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी के कब्जाकाश्त में मदाखलत ना करें एवं ना किसी अन्य से करायें तथा प्रार्थी की उक्त भूमि के किला नं.–2 में पक्का खाला का निर्माण ना करे तथा प्रार्थी के खातेदार अधिकारो पर अतिक्रमण ना करे तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं.–1 ता 3 की ओर से श्री अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार बलाना ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया कि अप्रार्थीगण पूर्व में चल रहे कच्चे खाला को ही पक्का कर रहे है प्रार्थी की कृषि भूमि पर कोई अतिक्रमण नही कर रहे है। प्रार्थी द्वारा गलत सीमाकंन करवाया गया है क्योकि वह अप्रार्थीगण की कृषि भूमि हड़पना चाहता है पूर्व में कच्चा खाला काफी वर्षो से चल रहा था ग्रम पंचायत द्वारा पक्का करवाया जा रहा है जो अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में बन रहा है। प्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही कर रहा है। प्रार्थी ने जमीन हड़पने के लिए झूठा दावा लगाया है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आर.टी.ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

प्रथम दृष्टया प्रकरण : यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 3 के मध्य सीमाज्ञान की पैमाईश को लेकर विवाद चल रहा है। अप्रार्थी सं.–2 अपनी वादाधीन कृषि भूमि में सिंचाई हेतु पक्का खाला का निर्माण अपनी वादाधीन कृषि भूमि में निर्माण कर रहा है जो अप्रार्थी सं.–3 सरपंच द्वारा किया जा रहा है। तथा प्रार्थी व अप्रार्थी के मुरब्बो बट सांझी है तथा दोनों मुरब्बों के बीच में सीमा को लेकर विवाद है। अप्रार्थी ने अभिकथन किया कि अप्रार्थीगण पूर्व में चल रहे कच्चे खाला को ही पक्का कर रहे है प्रार्थी की कृषि भूमि पर कोई अतिक्रमण नही कर रहे है। प्रार्थी द्वारा गलत सीमाकंन करवाया गया है क्योकि वह अप्रार्थीगण की कृषि भूमि हड़पना चाहता है पूर्व में कच्चा खाला काफी वर्षो से चल रहा था ग्रम पंचायत द्वारा पक्का करवाया जा रहा है जो अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में बन रहा है। प्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही कर रहा है। मूल वाद में अवलोकन किया गया तो जिसमे यह तथ्य आया कि मौके पर खाला का निर्माण हो चुका है [illegible] वकील उभयपक्षकार ने खाले के निर्माण को होना स्वीकार किया [illegible] को अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद और निर्बन्धित करवाने के प्रार्थी कतई अधिकारी नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलन:–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नहीं होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थी के

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.05 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी को ज्यादा असुविधा होगी एवं अप्रार्थी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षतिः—प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थी अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रही है। अप्रार्थी जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगी। जिससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीके विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27/02/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.05 11:59:32 IST
Reason: SelfAttested